

वेब प्रचालन हेतु

तार "केन्द्रीय निधि" नई दिल्ली
Telegram: "KENDRIYA NIDHI" New Delhi
ई-मेल - dir.ol.epfindia.gov.in

दूरभाष/Telephone: 011-26185097
फैक्स/FAX : 011-26185097



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार)

Employees' Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour, Govt. Of India)

मुख्य कार्यालय/ Head Office

भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

संख्या : हि.अनु./के.का./2009-10

सेवा में,

दिनांक :

14 नवम्बर 2011
NOV 2011

- 15356
1. निदेशक, नाटरस
 2. सभी अ.के. आ.(मुख्यालय एवं सभी अंचल)
 3. सभी प्रभारी अधिकारी/क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय,
क्षे.भ.नि.आ.(प्रशासन सेवा प्रभाग, मुख्यालय सहित)
 4. सभी आंचलिक/ उप -आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान ।

विषय: संघ सरकार के मंत्रालय, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी /सांविधिक निकायों, निगमों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्ष 2012 में चलाए जाने वाले हिंदी शब्द संसाधन /टंकण और हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक (गहन) प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

Sub: Short term (intensive) training programme of hindi word processor / typing and hindi stenography for the year 2012 for the officers/ employees of the ministries /departments, offices, autonomous/ statutory bodies, corporation, public sector under takings , nationalised banks etc. of union Government of India.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली का पत्र सं. 19013/1/2011-के.हि.प्र.सं./569-1268 दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

भवदीय,

(वीणा यादव)

सहायक निदेशक (रा.भा.)

प्रतिलिपि:

क्षेत्रीय आयुक्त (एन डी सी) वेब अपलोड करने के लिए ।

GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

सं.नि.प्र. (21/10)
21/10

दिनांक: 10 अक्टूबर, 2011

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/उद्यम/स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि
3. राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी

विषय : संघ सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों, निगमों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्ष 2012 में चलाए जाने वाले हिंदी शब्द संसाधन/टंकण और हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक (गहन) प्रशिक्षण कार्यक्रम।

महोदय/महोदया

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत वर्ष 2012 में हिंदी शब्द संसाधन/टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक (गहन) प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने हैं। हिंदी शब्द संसाधन/टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं -

हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण चूंकि वर्ष 2015 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, अतः आपसे यह अनुरोध है कि कर्मिकों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर भेजना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी
हिंदी आशुलिपि

पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी आशुलिपि	अनुलग्नक 1 के अनुसार	केवल उन्हीं अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। अनिवार्य: सभी वर्ग के अंग्रेजी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों हेतु। स्वैच्छिक: अवर श्रेणी लिपिकों/ टंककों हेतु *	हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राप्त आदि

3604
22.10.11
राजभाषा प्रशिक्षण संस्थान
नई दिल्ली-110011

•हिंदी टंकण जानने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/टंककों को भी हिंदी आशुलिपि कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामांकित किया जा सकता है और कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि उस कर्मचारी की हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का कार्यालय के कार्य में उपयोग किए जाने की संभावना है। इन कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण

पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	पात्रता	हिंदी में योग्यता
हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण	अनुलग्नक 1 के अनुसार	केवल उन्हीं अधिकारियों/ कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी टंकण/शब्द संसाधन का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। अनिवार्य: सभी अंग्रेजी टंककों/ अवर श्रेणी लिपिकों, डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूरसंचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों / कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों आदि के लिए, इसके अलावा इसमें ग्रुप 'ग' के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं। स्वैच्छिक: 1. वर्तमान में सहायकों, उच्च (प्रवर) श्रेणी लिपिकों तथा हिंदी अनुवादकों के लिए हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, अतः इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और इन्हें कक्षाओं में रिक्त स्थान होने पर प्रवेश दिया जा सकता है। 2. सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है,	हिंदी के साथ मिडिल (आठवीं) या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण आदि।

		किंतु वर्तमान में वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि।
--	--	--

- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एक समान हैं, परंतु ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अल्पकालिक (गहन) होने के कारण इनकी नियमित रूप से पूर्णकालिक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

उप संस्थान

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक (गहन) प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के अतिरिक्त कोलकाता, बंगलूरु, हैदराबाद तथा मुंबई उप संस्थानों में भी चलाए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

चयन का आधार

- पाठ्यक्रम में प्रवेश 'प्रथम आओ, प्रथम पाओ' के आधार पर दिया जाएगा।

वित्तीय प्रोत्साहन

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है। जिन आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर दो वेतनवृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।
- राजपत्रित आशुलिपिकों को 90 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर अधोलिखित तालिका के अनुसार नगद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है -

हिंदी आशुलिपि

1.	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400/- ₹0
2.	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600/- ₹0
3.	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800/- ₹0

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1.	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	2400/- ₹0
2.	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	1600/- ₹0
3.	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	800/- ₹0

परीक्षा शुल्क

- ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निशुल्क हैं किंतु केंद्र सरकार के निगमों/निकायों/उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि को प्रति कर्मचारी ₹0 100/- की दर से परीक्षा शुल्क देना होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान 'उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना', नई दिल्ली (Deputy Director (Exam.), Hindi Teaching Scheme, New Delhi) को देय होना चाहिए।

छात्रावास

- नई दिल्ली स्थित संस्थान में सीमित संख्या में प्रशिक्षार्थियों के ठहरने के लिए छात्रावास की व्यवस्था है, लेकिन नई दिल्ली से बाहर स्थित उप संस्थानों में छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए वहाँ प्रशिक्षार्थियों को अपने ठहरने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

नामांकन विधि


- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा कोलकाता, बंगलूरु, हैदराबाद तथा मुंबई स्थित उप संस्थानों के पते अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।
- अनुरोध है कि अपने कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम यथाशीघ्र इस कार्यालय को तथा अपने क्षेत्र में स्थित उप संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक (टं/आ) को सीधे भिजवाने का कष्ट करें। कृपया उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करें जिन्हें पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निश्चित रूप से कार्यमुक्त किया जा सके।
- पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद किसी भी परिस्थिति में कर्मचारी को सत्र के मध्य में कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। कृपया ध्यान रखें कि संबंधित केंद्र के सहायक निदेशक से पुष्टि प्राप्त होने पर ही अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए।
- इस संबंध में पत्र व्यवहार करते समय अपने कार्यालय का पूरा पता, दूरभाष संख्या और email का पता अवश्य लिखें, जिससे संपर्क करने में इस कार्यालय को सुविधा हो।

विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।

- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है, कि कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों, ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी ई-मेल adchti@gmail.com द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।

भवदीय,


05/10/11

(टीका राम कश्यप)

उप निदेशक (संस्थान)

संश्लेषण प्रतिवेदन

कक्षा के नाम	कक्षा के प्रकार	संख्या	संख्या
...
...
...
...

संश्लेषण प्रतिवेदन का विवरण एवं संश्लेषण के आधार पर जारी कक्षाओं का विवरण

कक्षा के नाम	कक्षा के प्रकार	संख्या	संख्या
...
...
...

संश्लेषण प्रतिवेदन

कक्षा के नाम	कक्षा के प्रकार	संख्या	संख्या
...

संश्लेषण प्रतिवेदन का विवरण एवं संश्लेषण के आधार पर जारी कक्षाओं का विवरण

कक्षा के नाम	कक्षा के प्रकार	संख्या	संख्या
...
...
...
...
...

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा कोलकाता, हैदराबाद, बंगलूरु एवं मुंबई स्थित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थानों में दिनांक 9.1.2012 से 14.12.2012 तक आयोजित किए जाने वाले हिंदी शब्द संसाधन/टंकण और हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक (गहन) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण।

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम
I-हिंदी शब्द संसाधन/टंकण

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का पता
1	हिंदी श.सं./टंकण	40 कार्यदिवस	09.01.2012 से 06.03.2012	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे. एंड के. हाउस के सामने), नई दिल्ली -110 011
2	हिंदी श.सं./टंकण	40 कार्यदिवस	07.03.2012 से 04.05.2012	
3	हिंदी श.सं./टंकण	40 कार्यदिवस	01.06.2012 से 26.07.2012	
4	हिंदी श.सं./टंकण	40 कार्यदिवस	21.08.2012 से 16.10.2012	
5	हिंदी श.सं./टंकण	40 कार्यदिवस	17.10.2012 से 14.12.2012	

II-हिंदी आशुलिपि

क्र०सं०	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां	प्रशिक्षण केंद्र का पता
1	हिंदी आशुलिपि	80 कार्यदिवस	09.01.2012 से 04.05.2012	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जे. एंड के. हाउस के सामने), नई दिल्ली -110 011
2	हिंदी आशुलिपि	80 कार्यदिवस	21.08.2012 से 14.12.2012	

कोलकाता तथा हैदराबाद स्थित उप संस्थानों में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम
I-हिंदी शब्द संसाधन/टंकण

क्र०सं०	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1	हिंदी श.सं./टंकण	40 कार्यदिवस	09.01.2012 से 06.03.2012
2	हिंदी श.सं./टंकण	40 कार्यदिवस	07.03.2012 से 04.05.2012
3	हिंदी श.सं./टंकण	40 कार्यदिवस	01.06.2012 से 26.07.2012

II-हिंदी आशुलिपि

क्र०सं०	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1	हिंदी आशुलिपि	80 कार्यदिवस	21.08.2012 से 14.12.2012

बंगलूरु तथा मुंबई स्थित उप संस्थानों में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम
हिंदी शब्द संसाधन/टंकण

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण की तिथियां
1	हिंदी श.सं./टंकण	40 कार्यदिवस	09.01.2012 से 06.03.2012
2	हिंदी श.सं./टंकण	40 कार्यदिवस	07.03.2012 से 04.05.2012
3	हिंदी श.सं./टंकण	40 कार्यदिवस	01.06.2012 से 26.07.2012
4	हिंदी श.सं./टंकण	40 कार्यदिवस	21.08.2012 से 16.10.2012
5	हिंदी श.सं./टंकण	40 कार्यदिवस	17.10.2012 से 14.12.2012

**Central Hindi Training Institute
Department of Official Language
Ministry of Home Affairs**

Details of fulltime Intensive Training Programme in Hindi Word Processing/Typing and Hindi Stenography to be conducted from 09.01.2012 to at Central Hindi Training Institute, New Delhi and Sub-Institute of the Institute located at Kolkata, Hyderabad, Bangalore and Mumbai.

Training Programme to be conducted at Central Hindi Training Institute New Delhi
I-Hindi Word Processing/Typing

Sl. No.	Training Programme	Duration of the Training	Dates of Training	Address of the Training Centre
1.	Hindi Word Processing/Typing	40 Working days	09.01.2012 to 06.03.2012	Central Hindi Training Institute, 2-A, Prithviraj Road (Opp. J&K House) New Delhi-110011
2.	Hindi Word Processing/Typing	40 Working days	07.03.2012 to 04.05.2012	
3.	Hindi Word Processing/Typing	40 Working days	01.06.2012 to 26.07.2012	
4.	Hindi Word Processing/Typing	40 Working days	21.08.2012 to 16.10.2012	
5.	Hindi Word Processing/Typing	40 Working days	17.10.2012 to 14.12.2012	

II-Hindi Stenography

Sl. No.	Training Programme	Duration of the Training	Dates of Training	Address of the Training Centre
1.	Hindi Stenography	80 Working days	09.01.2012 to 04.05.2012	Central Hindi Training Institute, 2-A, Prithviraj Road (Opp. J&K House) New Delhi-110011
2.	Hindi Stenography	80 Working days	21.08.2012 to 14.12.2012	

Training Programme to be conducted at Sub Institute located at Kolkata and Hyderabad
I-Hindi Word Processing/Typing

Sl. No.	Training Programme	Duration of the Training	Dates of Training
1.	Hindi Word Processing/Typing	40 Working days	09.01.2012 to 06.03.2012
2.	Hindi Word Processing/Typing	40 Working days	07.03.2012 to 04.05.2012
3.	Hindi Word Processing/Typing	40 Working days	01.06.2012 to 26.07.2012

II - Hindi Stenography

Sl. No.	Training Programme	Duration of the Training	Dates of Training
1.	Hindi Stenography	80 Working days	21.08.2012 to 14.12.2012

Training Programme to be conducted at Sub Institute located at Bangalore and Mumbai
I-Hindi Word Processing/Typing

Sl. No.	Training Programme	Duration of the Training	Dates of Training
1.	Hindi Word Processing/Typing	40 Working days	09.01.2012 to 06.03.2012
2.	Hindi Word Processing/Typing	40 Working days	07.03.2012 to 04.05.2012
3.	Hindi Word Processing/Typing	40 Working days	01.06.2012 to 26.07.2012
4.	Hindi Word Processing/Typing	40 Working days	21.08.2012 to 16.10.2012
5.	Hindi Word Processing/Typing	40 Working days	17.10.2012 to 14.12.2012

- | | |
|--|---|
| <p>1. उप निदेशक (संस्थान)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली 110 011</p> | <p>दूरभाष 011-23793517
फैक्स 011-23018740
E-mail adchti@gmail.com</p> |
|--|---|

उप संस्थानों के पते

- | | |
|---|---|
| <p>1. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
कमरा नं० 30. तीसरा तल, कौंसिल हाऊस स्ट्रीट,
कोलकाता-700 001</p> | <p>दूरभाष 033-22304062</p> |
| <p>2. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान,
केंद्रीय सदन, छठी मंजिल, 'सी' विंग 601,
सेक्टर-10, सीवीडी, बेलापुर,
नवी मुंबई-400 614</p> | <p>दूरभाष 022-27572705/275727060
फैक्स 022-27565417</p> |
| <p>3. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
बी-विंग, पांचवां तल, केंद्रीय सदन,
17वां मेन रोड, दूसरा ब्लॉक, कोरमंगला,
बेंगलूरु-560 034</p> | <p>दूरभाष 080-25537087
फैक्स 080-25537089</p> |
| <p>4. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
द्वितीय तल, केंद्रीय सदन, कोठी,
सुल्तान बाजार,
हैदराबाद-500 095 (आं०प्र०)</p> | <p>दूरभाष 040-24751297
फैक्स 040-24747211</p> |